



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com), वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-1-2/414/सम्बद्धता/2021/1016

रायगढ़, दिनांक 23.09.2021

// आदेश //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के आदेश क्र. 2371/25/आउशि/अ.शै.प्र./2020 नवा रायपुर दिनांक 16.06.2020 द्वारा अनुमति एवं विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्र. 2-1-2/सम्बद्धता निरीक्षण/114/2021/867 रायगढ़ दिनांक 06.09.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर एस.डी. महाविद्यालय, नवांगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निम्नांकित विषय/पाठ्यक्रम संबद्धता प्रारंभ करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है:-

क्रमांक	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष (माइक्रोबायोलॉजी)	40 सीट

निर्धारित शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
3. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जावे।
4. टेस्ट बुक कय की जावे।
5. उपकरण एवं प्रायोगिक सामग्री क्रय की जावे।

उल्लेखित शर्तों का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 10.10.2021 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सीट वृद्धि संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चन्द्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 23.09.2021

पृ. क्रमांक 2-1-2/414/संबद्धता/2021/1017

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, एस.डी. महाविद्यालय, नवांगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/9/21  
प्रभारी अधिकारी (अका.)